छीतर पुत्र घासी आयु 70 साल जाति रैंगर निवासी ग्राम चकचैनपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान ।

............प्रार्थी

बनाम

1. सुजाउद्दीन पुत्र सरफराजउद्दीन
2. फसीउद्दीन पुत्र सरफराजउद्दीन
3. वसीउद्दीन पुत्र सरफराजउद्दीन
4. वसीदीन पुत्र सरफराजउद्दीन
5. सुजउद्दीन पुत्र सरफराजउद्दीन
6. सलीमउद्दीन पुत्र सरफराजउद्दीन
7. सरफराजउद्दीन पुत्र शफी मोहम्मद
8. नाजीमुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन
9. रियाजउद्दीन उफ रियाज बाबा पुत्र इमामुद्दीन
10. नासीरूद्दीन पुत्र इमामुद्दीन
11. फिरोजउद्दीन पुत्र इमामुद्दीन
12. निजामउद्दीन पुत्र इमामुद्दीन

    समस्त जातियान् मुसलमान समस्त निवासीयान् 1389, कमेला गली, मोती डूंगरी रोड जयपुर जिला जयपुर ।

13. सुरजपोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड जरिये अध्यक्ष तारों कि कुट दूर्गापुरा सांगानेर जयपुर।
14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा :- वकील प्रार्थी
श्री रामकरण शर्मा :- वकील अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 19.01.2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चकचैनपुरा पटवार हल्का सायपुरा तहसील जमवारामगढ़ में स्थित भूमि खसरा नंबर 141 रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी ने वर्णित किया कि वादग्रस्त आराजियात का प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार की हैसियत से मौके पर काबिज काश्तकार हैं जो अपनी खातेदारी एवं कब्जें काश्त की उक्त भूमि पर साधिकार काबिज काश्त हैं तथा प्रार्थी के कब्जें काश्त व हक अधिकारों की खातेदारी वादग्रस्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं हैं। दिनांक 20.07.2017 को अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब होने के उद्देश्य से अपने साथ 50–60 लोगों ने मौके पर वादग्रस्त भूमि के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण करने हेतु वादग्रस्त भूमि में जे.सी.बी. से खड़ी फसल में नींव खोद दी तथा 300–400 बकरियां खेत में फसल बर्बाद करने हेतु छोड़ दी, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को रोकने पर झगड़ा फसाद करते हुये प्रार्थी को बेदखल करने की कोशिश की। प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नि को रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक चाक़ू की नोंक

कि अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हों और कहां कि हम किसी प्रकार के कानून व अधिकार को नहीं मानते एवं तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते तथा लठ के जो पर प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रार्थी को बेदखल करने व भूमि वादग्रस्त की बाउण्ड्री को तोड़ फोड़ करने की तथा जान से मारने की धमकियां देने लगे एवं गाली–गलौच की तथा मौके पर प्रार्थी की भूमि में अवैध प्रवेश करते हुये मौके पर तामिरात् व कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करने की धमकियां दी। जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 370/2017 आमेर थाने में दर्ज करवाई गयी। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि प्रार्थी के कब्जें काश्त की भूमि में किसी भी हिस्से पर जबरन अतिक्रमण नहीं करें, कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करें, प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, प्रार्थी के शांतिपूर्ण कृषि कार्य में दखल, बाधा, मजाहमत नहीं करें। उक्त प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एकतरफा जारी की गयी जिस पर अप्रार्थीगण को जानकारी होने पर अप्रार्थीगण की ओर से शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा पत्रावली को शीघ्र सुनवाई में रखवाकर सुनवाई की गयी जिसमें अप्रार्थीगण की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में बिना जवाब दिये हीं बहस के लिये निवेदन किया तथा लिखित बहस पेश तथा लिखित बहस के साथ शपथ–पत्र भी पेश किये तथा प्रार्थी की ओर से भी लिखित बहस पेश की गयी।

प्रार्थी की ओर से लिखित बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को हीं अंकित किया हैं तथा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट में वर्णित तथ्यों के अलावा प्रार्थी ने लिखित बहस में अंकित किया कि सन् 2004 में पारिवारिक आवश्यकताओं के लिये वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 1, 8 व 9 कुल 40,00000/–रूपयें में बेचानं का मौखिक ईकरारनामा किया व साईपेटे 8,00000/–रूपयें प्राप्त किये व रसीद बाबत् खाली स्टाम्प, खाली पाई पेपरों पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवायें व मौखिक इकरारनामा अनुसार हीं तय हुआ कि छःमाह में बकाया 32,00000/–रूपयें अदा कर देंगे व किसी हमारें अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवाकर कब्जा प्राप्त कर लेंगे। इसके पश्चात् उक्त लोग साल भर तक नहीं आये तो प्रार्थी स्वयं उनकी फिरोज होटल पर गया तो वहां पर अप्रार्थी संख्या 1, 8 व 9 मिलें तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहां कि आप मेरे बकाया बत्तीस लाख रूपयें अदा कर जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाकर उक्त भूमि का कब्जा संभालें। इस पर अप्रार्थीगण ने कहां कि हमसे बड़ी गलती हों गयी जो इतने भावों में अनुसूचित जाति की जमीन खरीद लीं जो हमारें नाम भी नहीं हों सकती हैं इतने में तो जनरल की जमीन हीं आ जाती हम सौदा केन्सिल करते हैं आप हमारें 8 लाख रूपयें लौटा देवें। हम तुम्हें यह खाली स्टाम्प व खाली पाई पेपर वापस लौटा देंगे। इस पर प्रार्थी ने कहां मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं क्योंकि तुम्हारें द्वारा दिये गये साई पेटे रूपयें तो खर्च हों गये अब जब आयेंगे तब हीं लौटाउंगा। इस पर अप्रार्थी संख्या 1, 8 व 9 ने सहमति जता दी व प्रार्थी अपने घर आ गया। 2006–2007 में प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर मकान बनाया एवं बोरिंग भी कराया व उक्त वादग्रस्त भूमि पर हीं मय परिवार निवास करले लग गया। सन् 2007 में चैनपुरा स्लाटर हाउस के आस–पास का अतिक्रमण हटाने जिला प्रशासल व जेडीए आया व बड़ें इलाके में तोड़ फोड़ कर अतिक्रमण हटाया जेडीए द्वारा तोड़फोड़ कर कब्जा करना चाहा इस पर प्रार्थी वादी ने जरिये न्यायालय अपीलिय अद्विकरण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर रैफरेन्स संख्या 425/2007 उनवानी प्रकरण छितर बनाम जेडीए के आदेश दिनांक 26.02.2009 द्वारा जे.डी.ए. को तोड़ फोड़ न करने व प्रार्थी की भूमि पर कब्जा न करने हेतु पाबन्द करवाया इसके पश्चात् प्रार्थी/वादी उक्त वादग्रस्त भूमि पर व परिवार सुख शांति से काबिज काश्त करने लगा तथा सन् 2014 में अप्रार्थी संख्या 1,8 व 9 मिलकर प्रार्थी की खड़ी फसल में भैड़, बकरियां घुसा दिया व बबुल के पेड काट दिये जातिसूचक गालियां दी जिनके विरूद्ध प्रार्थी ने एक एफ.आई.आर. नं. 549/2014 दर्ज करवाई जिसमें एफआर लग गयी तथा अप्रार्थीगण की ओर से भी 17.09.2016 को प्रार्थी के विरूद्ध एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण ने भी अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की। जिसमें अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 94/1 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 141 रकबा 0.5200 हैक्टेयर ग्राम चकचैनपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित सम्पूर्ण कृषि भूमि को सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति को

था व कब्जा सूरजमोल गृह निर्माण सहकारी समिति को सौंप दिया था। सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति ने उक्त जमीन पर फिरोज कॉलोनी के नाम से कॉलोनी काटकर क्रेताओं के नाम से जरिये पट्टो से बेचान कर दिया जिस पर मिनउत्तरदाता काबिज हैं। प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिस प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 लगायत 12 मिथ्या व मनगढन्त होने से सभी अस्वीकार हैं। वास्तविक तथ्यों को प्रार्थी ने छिपाया हैं तथा प्रार्थी का भूमि पर कब्जा नहीं हैं जो प्रार्थना पत्र के मद संख्या 9 में वर्णित दिनांक 20.07.2017 को दर्ज एफआईआर 370/2017 में स्वयं प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कब्जा दिलवाने व भूमि से कब्जा हटाने का अनुरोध किया हैं ऐसी स्थिति में जब प्रार्थी का कब्जा हैं हीं नहीं तो ऐसी स्थिति में वो अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं, ना हीं प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण हैं, प्रार्थी क्लीन हेंड से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहा हैं तथा सहीं तथ्यों को प्रार्थी ने न्यायालय से गोपन किया हैं जो किसी प्रकार से न्यायालय से राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी (वादी) ने खसरा नम्बर 94/1 की 2 बीघा 1 बिस्वा जमीन विपक्षी नम्बर तैराह को दिनांक 05.03.1995 को 4 लाख प्रति बीघा की दर से बैचान तय कर ग्यारह हजार रूपये प्राप्त करके भूमी का वास्तविक कब्जा विपक्षी नम्बर तेराह को दे दिया था। विपक्षी नम्बर तेराह ने भूमी पर ''फिरोज कालोनी'' के नाम से आवासीय स्कीम बनाकर अपने सदस्यो को अर्थात विपक्षी नम्बर एक लगायत बारह को आवंटन कर कब्जा दे दिया। प्रार्थी छीतर राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर खसरा नम्बर 94/1 की 2 बीघा 1 बिस्वा में 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नही हैं। बल्कि विपक्षी नम्बर तेराह द्वारा विकसीत की गई आवासीय ''फिरोज कालोनी'' के सदस्य विपक्षी नम्बर 1 लगायत 12 का वास्तविक कब्जा हैं विपक्षी नम्बर 1 लगायत 12 के अलग–अलग नम्बरों के भू–खण्ड हैं। प्रार्थी/वादी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही हैं प्रार्थी ने विपक्षी नम्बर तेराह को सम्पत्ति विक्रय कर कब्जा सम्भला चुका तथा समस्त विक्रय प्रतिफल प्रोप्त कर लिया। विपक्षी नम्बर एक लगायत बारह, विपक्षी नम्बर तेराह के सदस्य हैं वर्तमान में ''फिरोज कालोनी'' में विकसित प्लाट्स पर काबिज हैं। प्रार्थी/वादी का प्रकरण में वर्णित आराजी पर कब्जा हीं नही हैं, ना हीं प्रार्थी/वादी की फसल हैं। विपक्षी की भूमि में प्लाट व बाडा बना हैं। जिस पर वर्षो पूर्व से ही बकरा–बकरी बांधे जाते रहे हैं। आज भी बंधे हैं वादी एवं उसकी पत्नि को बंधक बनाने की कहानी झुठी हैं विपक्षीगण ने कभी भी वादी को एवं उसके परिवार वालो को जान से मारने की धमकी नही दी। दिनांक 20.07.2017 की घटना भी काल्पनिक हैं वादी ने F.I.R. No 370/2017 में दर्ज करवाई हैं। प्रार्थी/वादी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं हैं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि वादी/प्रार्थी ने भूमि विपक्षी नम्बर तेराह को विक्रय कर कब्जा दे चुका हैं। अपूर्तनीयक्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में नही हैं बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में फिरोज कॉलोनी के पट्टे हैं तथा अप्रार्थीगण का कब्जा हैं जो सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित पट्टे हैं जिनकों सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते तब तक प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण ने उक्त फिरोज कॉलोनी में दिनांक 20.03.2006 को ग्राम पंचायत सायपुरा से अनापत्ति–प्रमाण पत्र लेकर भैस, पाड़ा, बकरा, भेड़ आदि की हड्डी व खाल का स्टोर व इनका क्रय–विक्रय करने के लिये लेकर बाड़ा बना रखा हैं। यह कि उक्त भूमि में विकसित ''फिरोज कॉलोनी'' में अप्रार्थी ने दिनांक 10.08.2007 को दिनेश बोरिंग कम्पनी से ट्यूबवेल की खुदाई करवाकर बोरिंग लगा रखा हैं तथा विधुत विभाग से विधुत कनेक्शन भी ले रखा हैं। यह कि दिनांक 17.09.2016 को एफआईआर संख्या 454/16 पुलिस थाना आमेर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों के विरूद्ध पेश की गयी जिसमें प्रार्थी छीतरमल, प्रार्थी का लड़का सुरेश कुमार, प्रार्थी की पत्नि नैना देवी व पुत्रवधु श्रीमति सप्यार देवी के विरूद्ध धारा 447, 386, 120बी में अनुसंधान कर इन्हें गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध चालान पेश किया गया हैं जिसमें बनाया गया नक्शा मौका में भी अप्रार्थीगण का बाड़ा, चबूतरा, कमरा व बोरिंग बने होने की फर्द मौका बना हुआ हैं तथा लाईट कनेक्शन अप्रार्थी का लगा हैं जिसमें वर्णित गवाहों ने अप्रार्थी का कब्जा माना हैं जिसमें दिनांक 15.05.2017 को अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–35 द्वारा धारा 447,386,120बी उक्त पर्याप्त आधार होने से

... के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जा चुका है इससे भी यह सिद्ध है कि प्रार्थी ने उक्त प्रकरण के तथ्यों को भी वाद में छिपाये हैं। प्रार्थी/वादी द्वारा इसी भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 17.12.2014 को एफआईआर संख्या 549/14 अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 341, 427 आईपीसी व 3(1)(10),3(1)(एस) एससी/एसटी एक्ट का दर्ज करवाया जिसमें दिनांक 26.12.2014 को प्रकरण झूठा होने से एफआर लगा दी गयी। उक्त तथ्यों को भी प्रार्थी ने अपने वाद व प्रार्थना पत्र में छिपाये हैं अर्थात् उक्त भूमि को प्रार्थी द्वारा सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान करने के तथ्यों को छिपाकर जमाबन्दी में खातेदारी अपने नाम होने का फायदा उठाकर बिना कब्जे काश्त के अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठा वाद प्रस्तुत कर स्टे की आड़ में कब्जा प्राप्त करने की मकसद से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो मिथ्या आधारों पर होने से व प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन नहीं होने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारीज फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भी अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से साफ जाहिर हैं कि प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया हैं उसमें तथ्यों को छिपाकर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त किया हैं। अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस में जो तथ्य वर्णित किये हैं तथा भूमि का बेचान प्रार्थी द्वारा करने के उपरान्त अप्रार्थीगण को सोसायटी से आवंटित पट्टे प्राप्त हैं तथा अप्रार्थीगण ने मौके पर कब्जा प्राप्त कर रखा हैं तथा प्रार्थी स्वयं ने भी एफआईआर संख्या 370/2017 में वर्णित किया हैं कि कब्जा दिलवाया जावें जिससे साफ जाहिर हैं कि मौके पर प्रार्थी का कब्जा नहीं हैं। बिना कब्जें के प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं हैं तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में जो ईकरारनामा व पट्टे अस्तित्व में हैं उनके अस्तित्व में रहते हुये अप्रार्थीगण को प्रतिबंधित किया जाना उचित नहीं समझते हैं। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य लिखित बहस में अप्रार्थी संख्या 1, 8 व 9 को भूमि बेचान करने के उजागर किये हैं वो तथ्य प्रार्थना पत्र में छिपाये हैं। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया, अप्रार्थीगण की लिखित बहस के बाद प्रार्थी ने बेचान के तथ्य लिखित बहस में वर्णित किये हैं जिससे भी साफ जाहिर हैं कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण सुदृढ़ नहीं हैं, ना हीं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं, ना हीं किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किया जाता हैं। निर्णय खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होंकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों ।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
जमवारामगढ़ (जयपुर)